सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 256 राँची, शुक्रवार, 22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

12 सितम्बर, 2023

ज्ञापांक:- 05/म०स०/यो०-109/2023-2518--

विषय- सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संविधान के अनुच्छेद-41 तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशा-निर्देश के आलोक में सामाजिक सहायता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (Civil) No. 400/2012 में दिनांक 15.04.2014 को पारित न्यायादेश में ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रारंभ करने के संबंध में निदेश निर्गत है ।

2) सम्यक विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्यसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को रू-1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS/PFMS के माध्यम से प्रदान किया जाएगा ।

3) राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षापेंशन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी -

a) आवेदक की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो ।

b) आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो ।

c) आवेदक स्वयं केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सेसेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए ।

d) आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार ।

e) आवेदक के परिवार से तात्पर्य है-पति/पत्नी तथा उनके बच्चे ।

f) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-6 में वर्णित प्रावधानके अनुसार ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग संबंधी प्रमाण पत्र जो उपायुक्त के स्तर से निर्गत हो।

g) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना कालाभ प्रदान नहीं किया जायेगा ।

4) राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

"आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :-

a) 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति ।

b) आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र ।

c) बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति ।

d) ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग संबंधी प्रमाण पत्र।

e) पात्रता संबंधी घोषणा पत्र ।

5) योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी-

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी पेंशन संबंधी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे ।

(b) ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वाराआवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा ।

(c) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी/अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी ।

(d) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा।

(e) संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा NSAP-PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर प्रतिमाह कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में राशि भुगतान की जायेगी । आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भीकिया जा सकता है ।

(f) प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक पेंशन राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जायेगी। साथ ही प्रत्येक महीने उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली पेंशन राशि की जानकारी SMS द्वाराउनके रजिस्टर्ड फोन नम्बर पर भी भेजी जायेगी।"

6) योजनान्तर्गत लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन निम्नवत किया जाएगा :-

(a) इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

(b) विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र/अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण-पत्र की मांगकर सकता है ।

7) योजनान्तर्गत लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

i. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जायेगा ।

ii. लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे-

(क)लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।

(ख)लाभार्थी अपने पते पर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं रह रहा हो ।

(ग)चयन के समय जो अर्हत्ता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हता नहीं रखता हो ।

(घ)योजना के लाभार्थी, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रहा हो ।

(ड)उपरोक्त कंडिका-7 (ii) के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने परग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुक को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस निर्गत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

(च) उपरोक्त कंडिका-7 (ii) के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित/चिन्हित व्यकतियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी एक-एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

8) योजनान्तर्गत लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत किया जाएगा :-

" योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में दो बार किया जायेगा।"

9) योजनान्तर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे ।

ii. अनुमंडल पदाधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिले के उप विकास आयुक्त, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे ।

iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी पेंशन संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे ।

10) इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-06.09.2023 की बैठक के मद संख्या 22 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 256 - 50